

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं

क्रमांक-एफ.15(6)(15)विविध / लोकअदालत / आईसीडीएस / 2021 /

जयपुर, दिनांक:

प्रभारी अधिकारी (वाद) एवं
समस्त उप निदेशक, मबावि /
समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी

विषय:- दिनांक 14.05.2022 (द्वितीय शनिवार) को आयोजित होने वाली द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत के क्रम में।

संदर्भ:- प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग से प्राप्त पत्र दिनांक 27.04.2022


उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र की प्रति संलग्न कर लेख है कि दिनांक 14.05.2022 (द्वितीय शनिवार) को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।

अतः आपके कार्यलय से संबंधित प्रकरण जो लोक अदालत में रखे जाने हैं, को चिन्हित कर सूची तत्काल इस प्रशाखा को उपलब्ध करावे ताकि लोक अदालत का सफलतापूर्वक संचालन सुनिश्चित हो सके।

उक्त लोक अदालत में उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर को नोडल अधिकारी नियुक्त कर लेख है कि नियत दिनांक 15.04.2022 को लोक अदालत में व्यक्तिशः उपस्थित होकर विभागीय प्रकरणों का नियमानुसार निस्तारण करवाने में आवश्यक सहयोग करावे।

उक्त निर्देशों को सर्वोच्च प्राथमिकता देवें, आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।


उप विधि परामर्शी
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान जयपुर

क्रमांक-एफ.15(6)(15)विविध / लोकअदालत / आईसीडीएस / 2021 /


65735-38

जयपुर, दिनांक:

28/4/2022

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं।
2. नोडल अधिकारी एवं उप निदेशक, मबावि विभाग, जयपुर।
3. एसीपी कम्प्यूटर सेल को भेजकर लेख है कि पत्र को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावे।
4. रक्षित पत्रावली।


उप विधि परामर्शी
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान जयपुर

ACP

9

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग



क्रमांक प.3(4)प्र.सु./अनु-3/2022

जयपुर दिनांक : 27-04-2022

1. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
2. समस्त जिला कलक्टर राजस्थान।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान।

विषय- दिनांक 14.05.2022 (द्वितीय शनिवार) को आयोजित होने वाली द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत के सफलतापूर्वक संचालन बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त पत्र दिनांक 16.04.2022 मय दिशा-निर्देशों की प्रति संलग्न कर लेख है कि दिनांक 14.05.2022 (द्वितीय शनिवार) को आयोजित होने वाली द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत के सफलतापूर्वक संचालन के लिए विधि (ग्रुप-2) विभाग के पत्र दिनांक 08.02.2022 द्वारा आपके विभाग से संबंधित प्रकरणों हेतु नोडल अधिकारी एवं सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किये जाने हेतु लिखा गया था। उक्त संबंध में यदि आपके विभाग द्वारा नोडल अधिकारी नियुक्त नहीं किये गये हैं तो अतिशीघ्र नियुक्त करावे। यदि पूर्व में नियुक्त नोडल अधिकारी का स्थानांतरण हो गया है, तो उनके स्थान पर अन्य अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त कर, आदेश की प्रति प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग की ई-मेल आईडी ard.ds3@rajasthan.gov.in पर प्रेषित करने के साथ आदेश की एक प्रति विशिष्ट शासन सचिव, विधि रचना संगठन की ई-मेल आईडी law.dept@rajasthan.gov.in व सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को आवश्यक रूप से दिनांक 29.04.2022 तक प्रेषित करना सुनिश्चित करावे।

विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन आपके विभाग से संबंधित न्यायिक प्रकरणों में से लोक अदालत में निस्तारण हेतु चिन्हित किए गए प्रकरणों की सूची प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग की मेल आईडी ard.ds3@rajasthan.gov.in पर प्रेषित करने के साथ सूची की एक प्रति विशिष्ट शासन सचिव, विधि रचना संगठन की ई-मेल आईडी law.dept@rajasthan.gov.in व सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को आवश्यक रूप से दिनांक 05.05.2022 से पूर्व भिजवाना सुनिश्चित करावे।

द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत के सफलतापूर्वक संचालन एवं समन्वय को सुनिश्चित करने हेतु राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से नियुक्त नोडल अधिकारी Ms. Shalini Maharshi, Special Secretary (mediation and arbitration) मो.नं. 9414310543 से सम्पर्क/समन्वय स्थापित किया जावे।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(आलोक गुप्ता)

प्रमुख शासन सचिव

Director, ICDS

Raj., Jaipur

Receipt No. 1864

Date. 27/4/22

ज्ञाति 31/9/21/22

27/04/22

संलग्नक नंबर 31/9/21/22

27/04/2022

DLR
DLR 31/9/21/22